

1

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला-जबलपुर

क्रमांक / 102 / नग्रानि / 16

जबलपुर दिनांक 08/03/16

प्रति,



संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत क्रियान्वयन बाबत।


संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 931/सू.अ./सामा./नग्रानि/ 2016 भोपाल, दिनांक 25.02.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है। कि सूचना का अधिकार की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला जबलपुर कार्यालय से संबंधित 17 बिन्दू का मैनुवैल विभाग की वेबसाईट अपलोड करवाने हेतु जानकारी तैयार कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 65 दिनांक 19.02.16 के द्वारा भेजी गई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर सुलभ संदर्भ हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
 जबलपुर

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला जबलपुर
दिनांक 08/03/16
JD (A)
स्थापना
1909
24/3/16


19/3

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला-जबलपुर

क्रमांक / ...65... / नग्रानि / 16 /

जबलपुर दिनांक 19/02/16


प्रति

संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
मध्य प्रदेश, भोपाल

विषय:- सूचना का अधिकार नियम विभाग की वेबसाईट में अपलोड कराने के बाबद

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला जबलपुर कार्यालय से संबंधित 17 बिन्दू का मैनुवेल विभाग की वेबसाईट अपलोड करवाने का कृपया कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जबलपुर




**कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय जबलपुर एवं
नरसिंहपुर**

विषय:— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभाग के कार्यकलाप संबंधी 17 बिंदु का मेनुअल।

कं.	कार्य / लक्ष्य	उपलब्धियां	दिनांक
1.	1-जबलपुर निवेश क्षेत्र गठन।	नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3192/एफ-1-87/ 33/73 द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत।	12 दिसंबर 1973
	2-जबलपुर निवेश क्षेत्र विस्तार।	नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 114/एफ-1-87/ 33/73 द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा (2) के अंतर्गत।	15 दिसंबर 1975
	3-जबलपुर निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र का अंगीकरण।	नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन विभाग द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत।	म0प्र0 राजपत्र भाग 3(1) दिनांक 15 अक्टूबर 1976 में प्रकाशित
	4-जबलपुर निवेश क्षेत्र विस्तार।	म0प्र0 आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 114/एफ-1-78/ 33/73 भोपाल दिनांक 15.01.1975 द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा (2) के अंतर्गत।	21 नवंबर 1978
2.	1-जबलपुर विकास योजना 1991	-जबलपुर विकास योजना 1991 का अंगीकरण।	आवास एवं पर्यावरण विभाग के क्रमांक 4042/बत्तीस/भोपाल दिनांक 28.09.79 द्वारा म0प्र0 राजपत्र दिनांक 08.02.1980 के भाग 2 में प्रकाशित।
3.	1-प्रथम पुर्नविलोकन जबलपुर विकास योजना 2005	-जबलपुर विकास योजना 2005 प्रारूप का प्रकाशन। -जबलपुर विकास योजना 2005 का म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार अनुमोदित।	-29 दिसंबर 1995 -आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 685 दिनांक 08.12.1998 में प्रकाशित
4.	1-द्वितीय पुर्नविलोकन जबलपुर विकास योजना 2021	-जबलपुर विकास योजना 2021 प्रारूप का प्रकाशन। -जबलपुर विकास योजना 2021 का म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार अनुमोदित।	-5 फरवरी 2007 -1 अक्टूबर 2008


संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जबलपुर


क्र.	कार्य/लक्ष्य	उपलब्धियां	दिनांक
1.	01-सिहोरा विकास योजना 2011	-निवेश क्षेत्र का गठन -वर्तमान भूमि-उपयोग का अंगीकरण -विकास योजना प्रारूप का प्रकाशन -आपत्ति एवं सुझावों की सुनवाई -अंगीकरण	-14 मार्च 1977 -12 मई 1979 -23 जून 2004 -23 सितंबर 2004 -13 जनवरी 2005
2.	01-नरसिंहपुर विकास योजना-2021	-निवेश क्षेत्र का गठन -वर्तमान भूमि-उपयोग का अंगीकरण -विकास योजना प्रारूप का प्रकाशन -आपत्ति एवं सुझावों की सुनवाई -अंगीकरण	-18 मार्च 1974 -18 मार्च 1974 -29 जुलाई 2006 -28 अगस्त 2006 -30 मार्च 2010
3.	01-भेड़ाघाट विकास योजना	-निवेश क्षेत्र का गठन -वर्तमान भूमि-उपयोग का अंगीकरण -विकास योजना प्रारूप का प्रकाशन -आपत्ति एवं सुझावों की सुनवाई -अंगीकरण	-06 दिसंबर 1976, 13 मार्च 2002 एवं 26 मई 2005 -03 जुलाई 1977 -15 सितंबर 2011 -12 दिसंबर 2011 आपेक्षित
4.	गाडरवारा	-निवेश क्षेत्र का गठन	-22 जुलाई 1977
5.	करेली	-निवेश क्षेत्र का गठन	-16 सितंबर 1976


 सयुक्त संचालक
 नगर तथा ग्राम निवेश
 जयपुर

बिन्दु क्रमांक :-1


(अ) कार्यालय का नाम : संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर।

कार्यालय का सेटअप




(ब) कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के शाखावार दायित्व/कार्य :-

1. योजना शाखा : समय-समय पर शासन द्वारा दिये निर्देशानुसार नगर की विकास योजना तैयार करने का कार्य एवं मओप्रओ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत विकास अनुज्ञापं जारी करने संबंधी कार्य।
2. शोध शाखा : विकास योजना तैयार करने हेतु आवश्यक आंकड़ों का संकलन करना/अवैध विकास के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना एवं न्यायालयीन प्रकरण।
3. सर्वेक्षण शाखा : विकास योजना तैयार करने हेतु भौतिक सर्वेक्षण करना/वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
4. लेखा एवं स्थापना शाखा: कर्मचारियों के व्यक्तिगत नस्तियों का संधारण, वेतन, आवक-जावक, टाईपिंग आदि समस्त कार्यालयीन कार्य।


संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जबलपुर मओप्रओ

08	श्री राजेश दीवान	सहा0 मानचित्रकार	<ol style="list-style-type: none"> 1. जबलपुर विकास योजना क्षेत्र के कटनी-इटारसी रेलवे लाईन के पश्चिमी-उत्तरी क्षेत्रों से संबंधित तकनीकी प्रकरणों में परीक्षण उपरांत सीधे कार्यालय प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना, 2. जबलपुर तहसील के (भेड़ाघाट विकास योजना क्षेत्र को छोड़) प्रकरणों में परीक्षण उपरांत श्री विनोद परस्ते के माध्यम से कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करना 3. जबलपुर विकास योजना 2021 पुर्नविलोकन का कार्य एवं भेड़ाघाट विकास योजना संबंधी कार्य, कार्यालय प्रमुख द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य, न्यायालीन एवं विधि संबंधी समस्त कार्य, विकास योजना संबंधित समस्त कार्य, सूचना अधिकार संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया जाना,
09	श्रीमति जय श्री नाईक	मानचित्रकार	<ol style="list-style-type: none"> 1. सीहोरा से संबंधित प्राप्त प्रकरणों में अभिमत/भूमि उपयोग आदि संबंधी जानकारी तैयार कर श्री विनोद परस्ते सहायक संचालक के माध्यम से कार्यालय प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना, कार्यालय प्रमुख द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य, विकास योजना संबंधित समस्त कार्य,
10	श्रीमति रश्मि दीक्षित	सहा0 मानचित्रकार	<ol style="list-style-type: none"> 1. जबलपुर विकास योजना 2021 के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में भूमि उपयोग संबंधी जानकारी तैयार कर श्री विनोद परस्ते सहायक संचालक के माध्यम से कार्यालय प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना, कार्यालय प्रमुख द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य, विकास योजना संबंधित समस्त कार्य,
11	श्री संजीव पटेल	नील मुद्रक	<ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यालय में प्राप्त पत्रों का जावक-आवक उपरांत संबंधित शाखा को भेजा जाना एवं रिकार्ड कक्ष का संधारण, कार्यालय प्रमुख द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य, विकास योजना संबंधित समस्त कार्य,
12	श्री कृष्णकांत प्रजापति	कम्प्यूटर ऑपरेटर	<ol style="list-style-type: none"> 1. कम्प्यूटर ऑपरेटर संबंधी समस्त कार्य, कार्यालय प्रमुख द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य, विकास योजना संबंधित समस्त कार्य,
13	श्री रंजीत धुआरे	अन्वेषक	<ol style="list-style-type: none"> 1. न्यायालीन एवं विधि संबंधी समस्त कार्य, कार्यालय प्रमुख द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य, विकास योजना संबंधित समस्त कार्य,
14	श्री कृष्णकुमार यादव	चैनमैन	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्थानीय डाक का वितरण एवं कोषालय संबंधी कार्य, कार्यालय प्रमुख द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य, विकास योजना संबंधित समस्त कार्य,
15	श्री बृजमोहन सरोते	वाहन चालक	<ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यालय प्रमुख द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य
16	श्री पंकजपुरी गोस्वामी	भृत्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यालय प्रमुख द्वारा सौंपे गये अन्य समस्त कार्य

टीप- यह कार्य आदेश आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से लागू माना जावेगा।


 संयुक्त संचालक
 नगर तथा ग्राम निवेश
 जबलपुर

बिन्दु क्रमांक :-5

कार्यालय में उपयोग होने वाले उपलब्ध अधिनियम, नियम, रेगुलेशन, मैनुयल की सूची :-

1. म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
2. म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012
3. म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012
4. म0प्र0 अवकाश नियम
5. म0प्र0 सामान्य भविष्य निधि नियम
6. म0प्र0 यात्रा नियम
7. म0प्र0 चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम एवं अन्य विभाग से संबंधित

बिन्दु क्रमांक :-6

कार्यालय में संघारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची तथा वर्गीकरण

1. शोध शाखा :- 1- न्यायालयीन प्रकरण नस्ती
2-धारा 36-37 (अवैध निर्माण संबंधी सूचना-पत्र एवं नोटिस)
2. सर्वेक्षण शाखा :- सर्वे स्टॉक पंजी।
3. योजना शाखा :-1-धारा 27, पंजी 2-धारा 28 पंजी 3-धारा 29 पंजी 4-धारा 16 पंजी 5-भू-राजस्व संहिता के तहत प्राप्त प्रकरण पंजी 6-सूचना अधिकार पंजी 7-सामान्य प्रकरण पंजी 8-नजूल भूमि पंजी।
4. लेखा/स्थापना शाखा :-1-उपस्थिति पंजी 2-वार्षिक वेतन वृद्धि पंजी 3-आकस्मिक अवकाश पंजी

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1-यात्रा-दैयक पंजी | 2-चिकित्सा देयक पंजी | 3-वेतन रजिस्टर |
| 4-मासिक व्यय पंजी | 5-अग्रिमों की पंजी | 6-अवितरित राशि पंजी |
| 7-बिल रजिस्टर | 8-बी.टी.बी. बुक | 9-चेक रजिस्टर |
| 10-ड्राफ्ट रजिस्टर | 11-चालान रजिस्टर एवं मासिक राजस्व प्राप्तियां | |
| 12-दूरभाष, बिजी, भवन किराये की पंजी | | 13-ट्रेजरी व्हाउचर इंड्राज पंजी |
| 14-सामूहिक बीमा | 15-विभागीय सामान्य निधि रजिस्टर | |

बिन्दु क्रमांक:-7


परामर्शदात्री समितियों की संरचना, उनके सदस्य, उनके सदस्य प्रतिनिधि उनके नाम, आदेश क्रमांक, निर्णय संबंधी सरक्यूलर तथा दायित्व एवं कर्तव्य की जानकारी।

निरंक

बिन्दु क्रमांक:-8

कार्यालय के अंतर्गत आने वाले बोर्ड परिषद एवं समितियों के सदस्यों के नाम एवं अर्हता, गठन संबंधी आदेश, चार्टर/अनुबंध से संबंधी जानकारी, बैठक आहूत संबंधी शासन के निर्देश, आम नागरिक की प्रतिभागिता तथा कार्यवाही विवरण

निरंक


संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जबलपुर

बिन्दु क्रमांक-14

कार्यालय में उपलब्ध जानकारी की सूची श्रेणी तथा उसकी प्रकृति (हार्ड कापी, इलेक्ट्रिक फार्म)

बिन्दु क्रमांक-15

नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधायें जैसे पुस्तकालय, पब्लिक काउंटर आदि :-

आम नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने के लिये म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, के तहत शासन द्वारा स्वीकृत विकास योजना जबलपुर विकास योजना नरसिंहपुर (प्रारूप) विकास योजना सिहोरा (प्रारूप) की पुस्तक विक्रय हेतु सुविधा उपलब्ध हैं। जिसे निर्धारित शुल्क पर क्रय किया जा सकता है।

बिन्दु क्रमांक-16


लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी :-

1. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जाती है।
2. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 के तहत कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किये गये हैं। (छायाप्रति संलग्न)
3. अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत 17 बिन्दुओं का मेन्युल तैयार किया गया है।
4. अधिनियम की धारा 19 के प्रावधान अनुसार अपीलीय प्राधिकारी का नामांकन किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
5. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 के अंतर्गत जानकारी देने से संबंधित प्रपत्रों (प्रपत्र 1 से 6 तक) पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है तथा आवश्यक पंजी संधारित की जाती है।

बिन्दु क्रमांक-17

प्रासंगिक जानकारी जिसका सीधा संबंध आम नागरिक से हो।

निरंक


संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
जबलपुर म0प्र0